राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि०
नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

E-mail: gmscdcho@gmail.com Ph. No. 0141-2740745,2740544 Fax No. 0141-2740880

क्रमांक :एफ.33(1)अनुजानि.मु./आयोजना/कार्य योजना/2016–17/ 17717-49 दिनांक 10/7/19

परियोजना प्रबन्धक,
अनुजा निगम प्रकोष्ठ, जिला परिषद,
समस्त।

विषयः– विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत बकरी पालन व्यवसाय के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत निगम द्वारा संचालित बैंकिग एवं गैर बैंकिंग योजना में शामिल किये गये बकरी पालन व्यवसाय के क्रियान्चयन संबंधीं दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. बैंकिंग योजनान्तर्गत संचालित पोप योजना में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बैक के माध्यम से पूर्व व्यवसायों की भांति बकरी पालन व्यवसाय के लिये भी ऋण दिलाया जावे। पोप योजना की व्यवसाय सूची में बकरी पालन व्यवसाय को शामिल करते हुए अपडेट व्यवसाय सूची परिशिष्ठ–1 संलग्न है।
2. उन्नत नस्ल गाय/भैंस के साथ **"बकरी"** को भी जोड़ा गया है। बकरी पालन व्यवसाय के लिए दो बकरियों की एक इकाई (यूनिट) बनाकर बैंक से ऋण दिलाया जावें । यहां बकरी पालन के लिए इकाई लागत का निर्धारण नाबार्ड से करवाने की आवश्यकता नहीं है।
3. गैर बैंकिंग योजनान्तर्गत बकरी पालन के लिए अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों द्वारा स्वयं के स्तर पर एक या दो बकरी क्रय की जाती सकती है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाई जावें–
   (अ) अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों से निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज के साथ लिया जावें। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है, जो निःशुल्क उपलब्ध कराया जावें।
   (ब) आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, नोटेरी पब्लिक से सत्यापित दस रूपये का शपथ पत्र पूर्व की भांति, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न करावें।
   (स) बकरी के क्रय मूल्य का बिल जो ग्राम सेवक/सरपंच/वार्डपंच/राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हों प्राप्त करें।
   (द) बकरी के दुधारू होने का प्रमाणिकरण लाभार्थी से प्राप्त करें।
   (य) क्रय की गई बकरी के साथ लाभार्थी का फोटो।
4. बकरी पालन के लिए अनुदान अन्य योजनाओं की भांति इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 10000/– में से जो भी कम हो स्वीकृत किया जावेगा तथा इसकी राशि लाभार्थी के खाते में सीधे ही (डीबीटी द्वारा) भिजवाई जावें।

अतः उक्त निर्देशानुसार बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग योजनान्तर्गत बकरी पालन व्यवसाय के क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(परमेश्वर लाल)
प्रबन्ध निदेशक

d:\pawan asu\pawan letters.docx

क्रमांक :एफ.33(1)अनुजानि.मु. / आयोजना / कार्य योजना / 2016–17 / दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर (समस्त)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)।
4. निजी सचिव, महाप्रबन्धक, अनुजा निगम / आरओबीसीएफडीसी मुख्यालय, जयपुर।
5. महाप्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), बैंक ऑफ बडौदा, बडौदा भवन दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।
6. प्रबन्धक (आयोजना एससीए / एनसी) / प्रबन्धक (वित्त) / प्रबन्धक (संस्थागत वित्त) अनुजा निगम मुख्यालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

महाप्रबन्धक

d:\pawan ao\pawan letters.docx

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए ऋण योजनाओं हेतु उद्योग/व्यवसाय/सेवा के नामों की सूची

अ. उद्योग

क्र.सं.	उद्योग का नाम	क्र.सं.	उद्योग का नाम
1	कैनवास के स्कूल बैग	26	लकड़ी के खिलौने
2	गत्ते के डिब्बे	27	चमड़े के जूते
3	बटुए/बैग	28	कमर की पेटी आदि
4	रबड़ स्टाम्प	29	प्रिंटिंग प्रेस
5	मसाला पिसाई	30	स्क्रीन प्रिंटिंग
6	सांगानेरी प्रिंटिंग	31	प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं मिट्टी के खिलौने
7	स्वेटर बुनाई	32	लोहे के बक्से
8	कागज के लिफाफे एवं थैलियाँ	33	हथौड़े छेनियाँ चिमटे आदि
9	बाल्टी, ढ़ोल आदि बनाना	34	एल्यूमिनियम के हैंगर
10	कपड़े धोने का साबुन एवं पाउडर बनाना	35	हेयर पिन
11	फोटो फ्रेम	36	चाबी के गुच्छे
12	पर्दों के तार	37	लाख उद्योग
13	बढ़ई उद्योग	38	पंखी बनाना
14	झाडू बनाना	39	सूत की डोरियाँ
15	जूते के फीते	40	बहू–उद्देश्यीय इंजीनियरिंग कार्यशाला
16	नाड़े चुटिले आदि	41	ट्रांजिस्टर एवं रेडियो के चमड़े के कवर बनाना
17	प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे– कंघे, बटन, मग, ब्रुश, आदि	42	मोहर बनाने की चपड़ी
18	फिनाईल एवं डेओडोरेन्ट	43	पेन की स्याही बनाना
19	सीमेन्ट की जालियां बनाना	44	मोमबत्ती
20	अगरबत्ती बनाना	45	बूट पॉलिश
21	बॉल पेन रिफिल	46	बनियान एवं जांघिए
22	चौक स्टिक	47	रेडीमेड गारमेण्ट्स
23	प्लास्टिक नेम प्लेट	48	पेटीकोट
24	ट्राउजर	49	आरी–तारी का काम आदि
25	निवार बनाना		

ब. व्यवसाय

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	क्र.सं.	व्यवसाय का नाम
1	कोल्ड वाटर कैबिनेट	11	फल की दुकान
2	पान की दुकान	12	जॉब टाईपिंग
3	ठेले पर सब्जी बेचना	13	मनिहारी
4	स्टेशनरी की दुकान	14	प्रोविजन स्टोर
5	फोटोग्राफी	15	सब्जी की दुकान
6	होजरी की दुकान	16	भैंस इकाई
7	गाय इकाई	17	ऊँट गाड़ी
8	मुर्गी पालन	18	बिजली के सामान की दुकान
9	बैलगाड़ी	19	मधुमक्खी पालन
10	पेन्टर शॉप	**20**	**बकरी पालन (केवल एससी पोप के लिए)**

स. सेवा

क्र.सं.	सेवा का नाम	क्र.सं.	सेवा का नाम
1	बाईसिकल की दुकान	8	चाय की दुकान
2	ऑटो मैकेनिक	9	रेफ्रीजरेटर/कूलर
3	रेडियो	10	घड़ी की मरम्मत
4	जनरल रिपेयर्स	11	स्कूटर सर्विसिंग
5	टी.वी. सेवा केन्द्र	12	कपड़ों पर इस्त्री करना
6	स्टोव	13	पेट्रोमेक्स
7	प्रेशर –कूकर की मरम्मत	14	लकड़ी के फर्नीचर की मरम्मत एवं कुर्सियों की केनिंग

निःशुल्क

राज. अनु.जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.

जिला..

आवेदक का फोटो राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित

बकरी पालन हेतु आवेदन–पत्र

जिला / नगरपालिका / पंचायत समिति :

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. जाति ....
4. जन्म तिथि / आयु ....
5. निवास स्थान का पूरा पता ....
6. श्रेणी–महिला / पुरूष / विकलांग..
7. शैक्षणिक योग्यता..
8. समस्त स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय..
9. बीपीएल में चयन क्रमांक व वर्ष..
10. परिवार के सदस्यों की कुल संख्या
11. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	उम्र	व्यवसाय	वार्षिक आय

12. क्या प्रार्थी ने पूर्व में किसी वित्तीय संस्था / विभाग से सहायता प्राप्त की है, यदि हां, तो उसका विवरणः–

क्र. सं.	संस्था का नाम	कुल ऋण राशि	कुल अनुदान रशि	व्यवसाय

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही है एवं सत्य है। मैंनें कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है एवं कोई भी तथ्य मिथ्या नहीं है। मैं अनुजा निगम की किसी भी योजना में पूर्व में लाभान्वित नहीं हुआ हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः– आवेदक पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें:–

1. जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्राप्त।
2. वार्षिक आय प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी पब्लिक से प्राप्त।
3. नोटेरी पब्लिक से सत्यापित 10 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पूर्व की भांति।
4. आधार कार्ड प्रति।
5. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।